[2008] 3 एस.सी.आर. 626

विजय कुमार करवा

बनाम

शासकीय समापक, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(2008 की दीवानी अपील संख्या 1661)

28 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, सी.के. ठक्कर एवं लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्तिगण]

कंपनी अधिनियम, 1956: धारा 483 - इसके तहत दायर अपील - सारांशतः निपटान - इसकी शुद्धता - अभिनिर्धारित : सही नहीं है क्योंकि यह एक वैधानिक अपील थी - मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा गया।

अपीलकर्ता, जो कंपनियों के एक समूह का प्रतिनिधि था, एक ऐसी कंपनी के पुनरुद्धार में रुचि रखता था जो रुग्ण हो गई थी। उसने उस रुग्ण कंपनी के संबंध में कंपनी मामले की कार्यवाही में उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया और परिसमापन के अधीन कंपनी की संपत्तियों की खरीद के लिए प्रतिफल राशि के रूप में 65.51 करोड़ रुपये भुगतान करने की पेशकश की और उद्योग के पुनरुद्धार के लिए 650 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखा। शासकीय समापक ने अपीलकर्ता द्वारा आवेदन में की गई प्रार्थनाओं पर अपना जवाब दाखिल किया।

उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई, जिसने कंपनी की संपत्तियों के लिए बिक्री सूचना जारी करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता द्वारा दायर विविध आवेदन को निस्तारित कर दिया गया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 11.1.2007 को खंडपीठ के समक्ष कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत एक अपील दायर की। कंपनी न्यायाधीश ने मामले की कार्यवाही जारी रखी और कंपनी की संपत्तियों को भारतीय रेलवे के पक्ष में बेचने का निर्देश दिया, जिसने 140 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। 12.3.2007 को, अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रस्ताव का विवरण देते हुए एक विविध आवेदन दायर किया गया। आक्षेपित आदेश द्वारा खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया। इस न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि

इस प्रकार का सारांशतः निपटान असमर्थनीय है, विशेष रूप से तब जब अपील एक वैधानिक अपील हो।

अपील का निपटान करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय एकल न्यायाधीश के उस आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार करने के लिए बाध्य है जिसे गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया गया हो, न कि सारांशतः या प्रारंभिक स्तर पर। प्रत्येक वह आदेश जिसे केवल प्रशासनिक आदेश के बजाय उचित रूप से न्यायिक आदेश माना जा सकता है, कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत अपील योग्य है। [कंडिका 6, 7] [629-ई,एफ,जी]

शांता जेनेविव पोमराट और अन्य बनाम सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य **एआईआर (1983) एससी 269;** श्रीमती आरती दत्ता बनाम मेसर्स ईस्टर्न टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड एआईआर **(1988) एससी 325** - पर अवलंबन किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की दीवानी अपील संख्या 1661

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 2.4.2007 के निर्णय और आदेश से, जो 2006 के कंपनी अपील संख्या 4 में पारित किया गया।

पी.एस. मिश्रा, मनु शंकर मिश्रा, रवि चंद्र मिश्रा और अमित पवन, अपीलकर्ता की ओर से।

ए. शरण (अतिरिक्त महाधिवक्ता), देवाशीष भरूका, अशोक के. श्रीवास्तव, राहुल कौशिक, बी.के. प्रसाद, डी.एस. मेहरा, बिनु तामिया, संजय कपूर, राजीव कपूर, शुभ्रा कपूर और आरती सिंह, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 483 के तहत दायर कंपनी अपील संख्या 4/2006 को सारांशतः खारिज कर दिया गया था।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के संबंध में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 1984 का कंपनी मामला संख्या 3 दायर किया गया था, जो कथित तौर पर रुग्ण हो गई थी। अपीलकर्ता का मामला यह है कि यद्यपि पुनरुद्धार के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंततः उच्च न्यायालय ने कंपनी की संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया शुरू कर दी। कलकत्ता के बांगर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए अपीलकर्ता ने उक्त मामले में एक आवेदन दायर किया। समूह का विवरण देने के बाद, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 5,000 करोड़ रुपये था, आवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता कंपनी के पुनरुद्धार में रुचि रखता था। यह भी उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता ने राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और औद्योगिक विकास की संभावनाओं के कारण ऐसा निर्णय लिया था। अपीलकर्ता ने परिसमापन के अधीन कंपनी की संपत्तियों की खरीद के लिए प्रतिफल राशि के रूप में 65.51 करोड़ रुपये का भुगतान करने की पेशकश की और उद्योग के पुनरुद्धार के लिए 650 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखा। अपीलकर्ता के आवेदन पर सरकार और सरकार के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए गए। शासकीय समापक से अपीलकर्ता द्वारा आवेदन में की गई प्रार्थनाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। शासकीय समापक ने 19.6.2006 को अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। 25.8.2006 को उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की गई, जिसने कंपनी की संपत्तियों के लिए बिक्री प्रतिवेदन जारी करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता द्वारा दायर विविध आवेदन को निस्तारित कर दिया गया।

अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि उक्त आवेदन को बिना कोई कारण बताए या पुनरुद्धार की वांछनीयता पर विचार किए बिना ही निस्तारित कर दिया गया। शासकीय समापक के प्रत्युत्तर का संदर्भ दिया गया, जिन्होंने कहा था कि अपीलकर्ता से और जानकारी मांगी जा सकती है। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 11.1.2007 को खंडपीठ के समक्ष अधिनियम की धारा 483 के तहत एक अपील दायर की। कंपनी न्यायाधीश ने मामले की कार्यवाही जारी रखी और कंपनी की संपत्तियों को भारतीय रेलवे के पक्ष में बेचने का निर्देश दिया, जिसने 140 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। 12.3.2007 को, अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रस्ताव का विवरण देते हुए एक विविध आवेदन) दायर किया गया। आक्षेपित आदेश द्वारा खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया। यद्यपि अपील के समर्थन में विभिन्न आधार दिए गए

हैं, लेकिन चुनौती का प्राथमिक आधार यह है कि इस तरह का सारांशतः निपटान असमर्थनीय है, विशेष रूप से तब जब अपील एक वैधानिक अपील हो।

4. हालांकि, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि अपील में कोई दम नहीं था क्योंकि विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने मामले पर विस्तार से चर्चा की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि भारतीय रेलवे पहले ही बड़ी मात्रा में धनराशि निवेश कर चुकी है।

5. अधिनियम की धारा 483 इस प्रकार है:

> "483. आदेशों से अपील—कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने से पूर्व, न्यायालय द्वारा किसी कंपनी के समापन के मामले में किए गए किसी भी आदेश या दिए गए निर्णय की अपील उसी न्यायालय में, उसी रीति से और उन्हीं शर्तों के अधीन होगी, जिनके तहत उस न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार के मामलों में किसी आदेश या निर्णय की अपील होती है।"

6. *शांता जेनेविव पोमराट और अन्य बनाम सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य* (एआईआर 1983 एससी 269) में इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि उच्च न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के उस आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार करने के लिए बाध्य है जिसे गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया गया हो, न कि सारांशतः या प्रारंभिक स्तर पर। इसी स्थिति को *श्रीमती आरती दत्ता बनाम मेसर्स ईस्टर्न टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड* (एआईआर 1988 एससी 325) में दोहराया गया था।

7. यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्येक वह आदेश जिसे केवल प्रशासनिक आदेश के बजाय उचित रूप से न्यायिक आदेश माना जा सकता है, अधिनियम की धारा 483 के तहत अपील योग्य है।

8. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निस्तारण हेतु वापस भेजते हैं। पक्षों द्वारा उजागर किए गए तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अगस्त, 2008 के अंत तक अपील का निपटान करने का अनुरोध करते हैं। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.8.2007 का यथास्थिति का आदेश अपील के निस्तारण तक प्रभावी रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम संरक्षण प्रदान करके हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

डी.जी. अपील निस्तारित

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।